न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 23/13 तारीख रजू 3 7/13

उनवान – चन्द्रभान बनाम जगदम्बा वगै०

दावा बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv० ने दावा बाबत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन के जरिये तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक – 29.7.13 को पेश हो।

1402-9 / 5.7.13

उप जिला कलेक्टर
[illegible] (करौली)

29.7.13 वादी वकील उप०। अप्रार्थीगण (प्रतिवादी) सं. 1 ता 3, 6, 8 की ओर से श्री राजकुमार सिंह Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 4, 5, 7 उप० नहीं हुए। उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दि० 8/8/13 को पेश हो।

पुनश्च – चूंकि प्रतिवादीगण भारतीय सेना में हैं, अतः [illegible] पेश करें। [illegible] 8/13

4

डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

चन्द्रभान पुत्र धमोल जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–वादी

विरूद्ध

जगदम्बा पुत्र वीरसिंह

राजा पुत्र मोला

जीवनसिंह पुत्र वीरसिंह

जागीर पुत्र निहालसिंह

राजवीर पुत्र निहाल

रामचरण पु. कलुआ

हरि पुत्र रामचरण

रामभान पुत्र रामचरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा (स्टे)

मुकदमा नं0 दावा – 23/13

तारीख रजू – 03.07.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत बेदखली भूमि व पाबंदी डिग्रि किया जाकर वादी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 161/530 रकवा 0.07 हेक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित ग्राम रनमलपाडा तहसील टोडाभीम मे प्रतिवादीगण द्वारा किया गया अवैध कब्जा, आठ फीट उचा डण्डा, घूडा, बबूल के ढाकर आदि को प्रतिवादीगण हटा ले तथा उन्हे बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय नही हटाये जाने पर इस आदेश की पालना हेतु तहसीलदार टोडाभीम व थाना अधिकारी बालघाट को आदेश प्रदान किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वादी की उक्त भूमि मे किसी प्रकार का अतिकमण नही करे।

Scanned by CamScanner